न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 66 / 2018 (गत मु.नं.22 / 2010) (RCMS No. 2019/00002)

प्रार्थी

1. मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय चान्दमल उर्फ चॉदू जाति ढ़ोली उम्र 65 साल निवासी भूतपूर्व सैनिक व कृषि कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गोविन्दराम पुत्र लादूराम जाति नाई निवासी कुचामनसिटी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– मोहनलाल पुत्र स्व. गोविन्दराम
   1/2– बद्रीप्रसाद पुत्र स्व. गोविन्दराम
   1/3– रामअवतार पुत्र स्व. गोविनदराम
   1/4– धनराज पुत्र स्व. गोविन्दराम जाति नाई निवासीगण कुचामनसिटी
2. कुनणा पुत्र स्व. चांदु
3. रामु पुत्र स्व. चांदु
4. धर्मचन्द पुत्र दीनजी
5. दिलिप उर्फ पल्लू पुत्र दीनजी
6. सिण्याणू पुत्र अशोक
7. बबलू पुत्र अशोक
8. बायेली पुत्र अशोक
9. बोदू पुत्र सुण्डा
10. भंवर पुत्र श्यामा
11. धनराज पुत्र श्यामा
12. श्रीमति लुका पत्नि रतनजी
13. ललिता पत्नि हणमानजी
14. घोटू उर्फ अनिल पुत्र हणमानजी सभी जाति ढ़ोली नि. कुचामनसिटी
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर
16. भूमिधारी (तहसीलदार) तहसील कार्यालय कुचामनसिटी
17. उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाज कुचामनसिटी
18. पटवारी हल्का कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/4 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनॉक :– [illegible].2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण का एक वाद इस न्यायालय में बहुत ही मजबूत बिनाय पर पेश किया

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हुआ है जिसमें उसे सफलता मिलने की पूरी–पुरी उम्मीद है, ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 750/720 रकबा 2 ¼ कुचामनसिटी जागीरदार के समय से प्रार्थी के पिता चान्दमल उर्फ चांदू पुत्र नारायण ढ़ोली कुचामन अपने भाई लालू पुत्र नारायण के साथ उक्त आराजी पर बहैसियत पसायतदार काबिज काश्त कृषक थे,तथा उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय खुदकाश्त काबिज काश्तकार थे,सम्वत 2010–13 के राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी एवं सम्वत 2010 से 2022–23 तक की गिरदावरी में लालू चान्दु पिसरान नारायण ढ़ोली का कब्जा काश्त दर्ज है,नारायण के पोत्र की हैसियत से प्रार्थी को जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहीत हो गये थे, प्रार्थी के पिता चांदु उर्फ चान्दमल पुत्र नारायण ढ़ोली का दिनॉक 16.03.1996 को देहान्त हो गया, प्रार्थी के पिताजी के पिता अर्थात दादा का सजरा खानदान निम्नवत है,

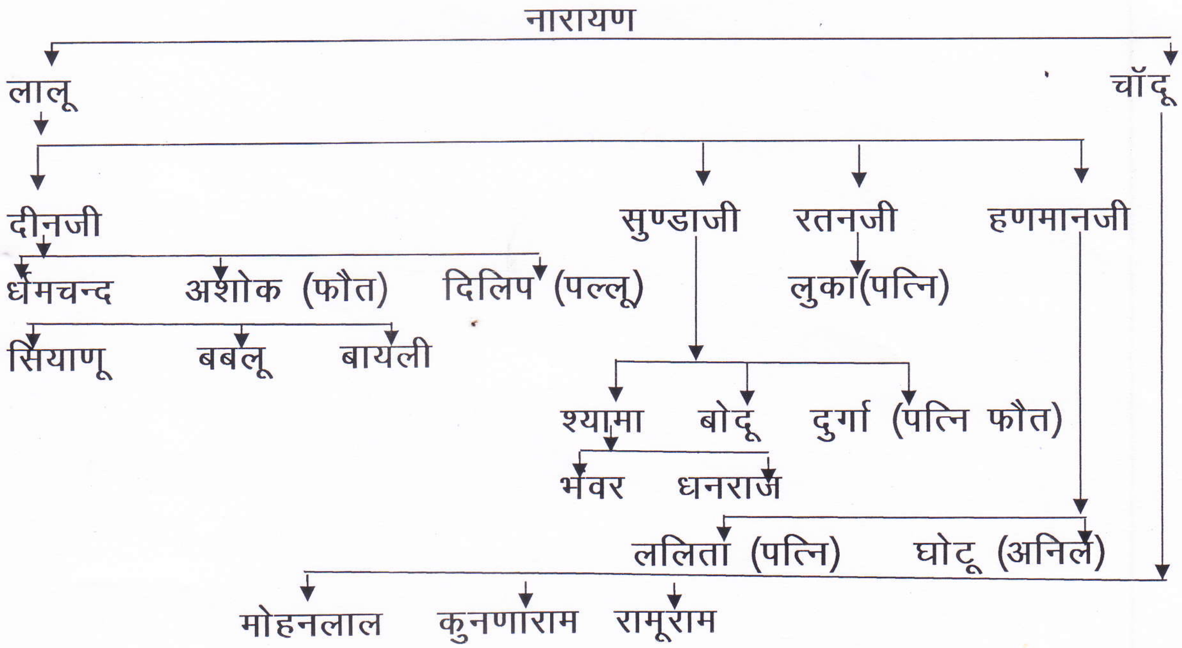

खसरा नम्बर 750/720 कृषि भूमि रकबा 2 ¼ बारानी द्वितीय के सेटलमेंट बाद नये खसरा नम्र 1887 रकबा 0.88 हैक्टर हो गये, जागीरदारी पुनग्रहण पश्चात लगान प्रार्थी के पिता व ताउ द्वारा राज्य सरकार को अदा किया गया है, सेटलमेंट विभाग को प्रार्थी के पूर्वजो की खातेदारी अधिकार हटाने का कतई अधिकार नही है, प्रार्थी के गांव में कार्यरत रहने तथा पर्वूजो के अनपढ़ रहने का फायदा उठाकर पदमा पुत्र फता, ... पुत्र भींवा, लादू पुत्र खेमा मोटा पुत्र छोटू कुम्हार व राजस्व अधिकारियों ... कर प्रार्थी के पूर्वजो का नाम खातेदारी से हटा दिया गया, प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 14 संविधान (अनुसूचित जातिया) आदेश 1950 के भाग ... के तहत निर्दिष्ट समूह अनुसुचित जाति ढ़ोली से सम्बद्व है विवादित आराजी अनुसूचित जाति ढ़ोली के खातेदार लालू–चान्दू के खुदकाश्त काश्तकार के कब्जे में होने की वजह से अप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1 को उक्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते,अप्रार्थी ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की भूमि किस्म परिवर्तन कराकर अन्यत्र को हस्तानान्तरण करने पर उतारू है, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूतर्नीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 750/720 रकबा 2 ¼ जिसके सेटलमेंट पश्चात नये खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.88 हैक्टर में अप्रार्थी नम्बर 1 व उसके एजेन्ट प्रतिनिधि उत्तराधिकारी भूमि की वर्तमान किस्म बारानी दोयम में किसी प्रकार का परिवर्तन व परिवर्धन नही करे तथा मौके पर किसी प्रकार का स्थाई निर्माण कार्य नही करे तथा अन्यत्र किसी भी प्रकार से बेचान अथवा हस्तानान्तरण अन्तरण आदि नही करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा अप्रार्थी सं. 3 को पाबंद फरमाया जावे की रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा पंजियन अधिकारी किसी प्रकार का दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, अप्रार्थी तहसीलदार एवं उप पंजियक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी पटवारी हल्का ने जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा, अप्रार्थी सं. 2 ता 14 प्रार्थी के परिवार सदस्य होने से कोई अनुतोष नही चाहा।

अप्रार्थी नं. 1 गोविन्दराम की मृत्यु होने से उसे कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया गया, जिन्होने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि चान्दमल तथा लालू ढ़ोली का उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है, जमाबंदी में केवल मात्र अन्य खातेदारान के साथ पसायतदार दर्ज रहे है जबकि जागीर काल से पदमा लूणा लादू एवं मोटा कुम्हार काबिज कृषक रहे है जो उपरोक्त भूमि के स्वतंत्र आसामी थे, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय 15.10.1955 को पदमा लूणा लादू एवं मोटा कुम्हार आसामी दर्ज है, खसरा नम्बर 750/720 की भूमि लालू चांदू पि. नारायण ढ़ोली खुदकाश्त की भूमि कभी नही रही न ही राजस्व अभिलेख में इनकी खुदकाश्त दर्ज है, वादग्रस्त भूमि 2 बीघा 8 बिस्वा का लगान पदमा वगैरह अदा करते थे,रिकार्डेड खातेदार पदमा लूणा लादू एवं मोटा ने अप्रार्थीगण के पिता गोविन्दराम जी नाई को सम्वत 2022 में दिनॉक 11.03.1966 को वादग्रस्त भूमि का विधिवत बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया, उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 206 दिनॉक 30.06.1968 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया, आगामी चौसाला जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में अंकित खसरा नम्बर 750/720 कीक 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि लगातार अप्रार्थीगण के पिता गोविन्दराम के नाम लगातार दर्ज चली आ रही है, प्रार्थी ने अपने दादा के देहान्त के बारे में कुछ भी तथ्य अंकित नही किये है, खसरा नम्बर 720 की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि भूरमल पुत्र गोविन्दराम ब्रहाम्ण से गोविन्द जी द्वारा क्रय कर इन दोनो खसरो

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

....4....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

की कुल भूमि को एक चक बनाकर उसमें कुआ खुदवाया एवं कुऐ से सिंचाई करने लगे जिससे उक्त भूमि चाही दर्ज हुई, द्वितीय सेटलमेंट में गत खसरा नम्बर 750/720 एवं 720 की गोविन्द जी की सम्मिलित भूमि के जाव के खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.88 हैक्टर एवं कुआ के खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 0.89 हैक्टर गोविन्द जी के नाम दर्ज किये है, वर्तमान में अप्रार्थी गोविन्द जी का मकान एवं बाड़ा सम्वत 2025 से बने हुये है तथा दिनॉक 21.01.2009 को खसरा नम्बर 1887 में से 0.1618 हैक्टर भूमि धारा 90 बी के तहत दर्ज होकर गोविन्दराम के नाम पट्टा बनवाया गया है तथा नगरपालिका कुचामन से अनुमति लेकर नया मकान बनाया गया है, प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में गत खसरा नम्बर एवं चालू खसरा नम्बर की जमाबंदी गिरदावरी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकले प्रस्तुत की गई है जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, जिन्होने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा इत्यादि का अवलोकन किया गया, मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 750/720 रकबा 0.34 खसरा नम्बर 720 रकबा 0.54 जिसके नये खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.88 अंकित हुए, जमाबन्दी नकल सम्वत 2010–13 कुचामन के खसरा नम्बर 750/720 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में लालु चांदु पि. नारायण कौम ढ़ोली सा. देह पसायतेदार पदमा वल्द फता लूण वल्द भींवा लादु वल्द खुमा मोटा वल्द छोटू कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 720 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में भुरमल पुत्र गोविन्दराम कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2014–2017 में खसरा नम्बर 750/720 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में पदमा वल्द फता लूण वल्द भींवा लादु वल्द खुमा मोटा वल्द छोटू कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है,सम्वत 2022–2025 मेंखसरा नम्बर 750/720 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में पदमा वल्द फता लूण वल्द भींवा लादु वल्द खुमा मोटा वल्द छोटू कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, नामा. सं. 206 दिनॉक 30.06.1968 अनुसार पदमा वल्द फता लूण वल्द भींवा लादु वल्द खुमा मोटा वल्द छोटू कौम कुम्हार सा. देह बेचान से गोविन्द पुत्र लादू नाई के नाम खातेदारी दर्ज होना अंकित है,90 बी प्रकरण सं. 02/2009 आदेश 21.01.2009 अनुसार गोविन्दराम पुत्र लादूराम नाई कुचामनसिटी [illegible] खसरा नं. 1887 रकबा 0.88 हैक्टर में से 0.1618 हैक्टर पुनग्रहित [illegible] नगरपालिका कुचामन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये [illegible] जमीन की प्रति अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1851 1852 [illegible] 1888 2599/1895 कुल रकबा 1.48 हैक्टर गोविन्दराम पुत्र लादूराम नाई [illegible]. देह खातेदार अंकित है, पट्टा सं.1689/09 दिनॉक 13.01.2010 को उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में गोविन्दराम के नाम खसरा नम्बर 1887 में पंजिबद्व हुआ है। पानी बिजली बिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

....5....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भी गोविन्दराम नाई के नाम जारी हो रखे है। उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज नही रही है केवल पसायेतदार सम्वत 2010 के चौसाले में अंकित रहा है, जबकि वास्तविक खातेदार पदमा लूणा वगैरह रहे है एंव उनके द्वारा भूमि बेचान करने पर गोविन्दराम नाई के नाम 1968 से खातेदारी दर्ज चली आई है तथा आज दिन लगातार कब्जा काश्त गोविन्दराम तत्पश्चात उनके वारिसान का चला आ रहा है तथा मौके पर अप्रार्थी गोवन्दिराम का परिवार निवासरत है इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज काबिल है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 24.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested